

10/6/24 पत्रावली पेडा। उक्त पत्र वकील उप।
उपरोक्त की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
251-A RTI का विद्रोह करने का फेरा
क्रिया प्रार्थी की ओर से बताया गया कि
प्रकारान्त के मध्य आपसी राजीनामा हो
चुका है। अतः प्रार्थना पत्र विद्रोह परमाव
अतः - आशुकि से प्रार्थी की ओर से उत्तर
प्रार्थना पत्र स्विकार किया जाकर प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 251-A RTI का जोरिए विद्रोह
खारिज किया जाता है। पत्रावली कैमलशुभा
दोका परिवल दफ्तर हो व नम्बर ले सप्त है।

(M)
सहायक कलेक्टर, सांचीर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचीर)

